बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या – 15/औ0–14–01/16 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....

औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा – 21 एवं तत्सन्निहित नियमावली 1945 के नियम 59(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधीन कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रभार के लिए उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ – 4 में उल्लेखित स्थानों पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रम संख्या	नाम,पदनाम एवं वर्त्तमन पदस्थापन	गृह जिला	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री उदय शंकर, अनुज्ञापन प्राधिकारी, गया नगर निगम क्षेत्र, गया एवं अतिरिक्त प्रभार में अनुज्ञापन प्राधिकारी, नवादा	पटना	अनुज्ञापन प्राधिकारी, गया ग्रमीण।
2.	श्री अनिल कुमार, अनुज्ञापन प्राधिकारी, औरंगाबाद एवं अतिरिक्त प्रभार में अनुज्ञापन प्राधिकारी, अरवल	भागलपुर	अनुज्ञापन प्राधिकारी, जहानाबाद
3.	श्री सुभाष चन्द्र राय, अनुज्ञापन प्राधिकारी, पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना	पूर्णियाँ	अनुज्ञापन प्राधिकारी, पटना ग्रमीण।

2. उपर्युक्त वर्णित तीनों अनुज्ञापन प्राधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे स्तम्भ – 4 में अपने नाम के सामने उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार वाले स्थल पर प्रभार ग्रहण कर लेगे एवं इसकी सूचना मुख्यालय को देगे। अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रभार ग्रहण करेगें।

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 15/औ0–14–01/16 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना – 7 को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 15/औ0–14–01/16 381(5)/स्वा0, पटना, दिनांक – 21/3/16

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री स्वा0 के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आशुलिपिक/ सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार के आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुँआ, पटना/ संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित सभी सिविल सर्जन/सभी संबंधित अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी / सभी संबंधित औषधि निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/3

सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना